न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 III/निगरानी/मुरैना/भू0रा0/2017/2403

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र वासुदेव प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खडला तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि. 28/11/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

............................आवेदक

बनाम

गंगादेवी पत्नी रतना भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जींगनी तह0 व जिला मुरैना

..........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 21/07/2014

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वृत 4

तहसील मुरैना के प्र0क0 07/16-17x अ/6 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जींगनी तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 661 रकवा 0.140 है0 में से हिस्सा 1/2 भाग के माधौप्रसाद पुत्र तेजसिंह स्वामी व आधिपत्यधारी थे।

2– यह कि माधौप्रसाद की मृत्यु के पश्चात आवेदक व अनावेदक द्वारा पृथक पृथक वसियतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। जो पटवारी मौजा द्वारा विवादित होने पर निराकरण हेतु तहसील में प्रस्तुत किये जिस पर से तहसीलदार महोदय मुरैना वृत 4 द्वारा प्र0क0 07/16-17 x अ/6 पर पंजीबद्व किया जाकर विचाराधीन है।

3– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य दीवानी दावा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना में प्र0क0 96/17ए0इ0दी0 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें स्वत्व का निराकरण होना है। दीवानी न्यायालय में चल रहे प्रकरण के निराकरण तक नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

4– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/07/2017 द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को अबैध व मनमाने आधार पर निरस्त कर दिया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक III / निगरानी / मुरैना / मू0रा0 / 2017 / 2403

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–8–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार वृत–4 तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 07 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2 / आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन अंतरिम आदेश में निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन नहीं है जिसके कारण तहसीलदार ने धारा 32 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य नियत किया है। चूंकि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है इसलिए तहसीलदार ने उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को स्थगित न कर साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	